# :: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी (म0प्र0) ::

क्रमांक :– 203 /एक/11–1/08–2024 सिवनी, दिनांक 20/04/2024

## // कार्य विभाजन विविध आदेश //

मैं सतीश चंद्र राय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी, धारा–10(2) सहपठित धारा–381(2), 194, एवं 400 दं0प्र0सं0 एवं सिविल कोर्ट अधिनियम 1955 की धारा–15 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त कार्य विभाजन आदेश को अधिष्ठित करते हुये सिविल एवं सत्र खण्ड सिवनी में कार्यरत समस्त सत्र न्यायाधीशो के मध्य आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण एवं वरिष्ठ तथा कनिष्ठ खण्ड न्यायाधीशो के मध्य सिविल प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण के संबंध में कार्य विभाजन संबंधी निम्नानुसार आदेश दिनांक **20 अप्रैल 2024** से प्रसारित करता हूँ :–

| क्रं | न्यायालय का नाम | क्षेत्राधिकार | क्रं. | प्रकरणों का प्रकार जिनके निराकरण का क्षेत्राधिकार होगा |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी एवं सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सिवनी | सम्पूर्ण सत्र खण्ड, सिवनी एवं सम्पूर्ण सिविल जिला सिवनी (कुटुम्ब न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकारिता, केन्टोनमेंट क्षेत्र, को यदि कोई हो को सम्मिलित करते हुए, नगर पालिका सिवनी की सीमाओं को छोड़कर) | 1– | समस्त सत्र प्रकरण। |
| | | | 2– | समस्त दाण्ड़िक अपील। |
| | | | 3– | समस्त दाण्डिक पुनरीक्षण। |
| | | | 4– | धारा 199(2) दं0प्र0सं0 के प्रावधान अनुसार प्रस्तुत परिवाद। |
| | | | 5– | धारा 438, 439 दं0प्र0सं0 (एट्रो0, भ्रष्टाचार एवं एन0डी0पी0एस0 तथा पॉक्सो एक्ट के मामलों को छोड़कर) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले जमानत संबंधी आवेदन। (तहसील लखनादौन एवं घंसौर से उदभूत जमानत आवेदन पत्रों को छोड़कर) |
| | | | 6– | सम्पूर्ण सत्र खंड के अंतर्गत धारा–408, 409 द.प्रं.सं. के अंतर्गत दांडिक प्रकरणों एवं आवेदनों के अंतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र। |
| | | | 7– | अन्य विशेष अधिनियम, स्थानीय अधिनियम जिनके विषय में कार्य विभाजन में स्पष्ट निर्देश नहीं है, ऐसे अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले परिवाद, अभियोग पत्र, विविध प्रकरण, अपील, जो कि सत्र न्यायालय द्वारा मूल विचारण न्यायालय या अपीलीय न्यायालय की अधिकारिता में विचारण किये जाने या सुने जाना प्रावधानित हो। |
| | | | 8– | सभी दांडिक विशेष प्रकरण जो सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य हो और जिनका सुनवाई क्षेत्राधिकार इस कार्य विभाजन पत्रक अंतर्गत अन्य किसी न्यायाधीश को आंवटित न किया गया हो |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | तथा ऐसे सभी आपराधिक प्रकरण जो म0प्र0 राज्य शासन अथवा माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 द्वारा सुना जाना विनिर्दिष्ट किया गया हो। |
| | | | 9– | मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। |
| | | | 10– | धारा 299(2) द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। |
| | | | 11– | ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अंतर्गत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण किये गये दाण्डिक मामलों से संबंधित अपील। |
| | | | 12– | घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण विधान, 2005 के अंतर्गत पारित आदेश से उत्पन्न अपील। |
| | | | 13– | खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत न्यास निर्णायक अधिकारी सिवनी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधि0 के अंतर्गत पारित न्याय निर्णय के विरूद्ध जिला ट्रिबूनल के अधीन प्रस्तुत होने वाली अपीलें एवं माननीय उच्च न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि0 2006 के अधीन न्याय निर्णायक अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत, किंतु अनिर्णित वापस होने वाली याचिकाएँ। |
| | | | 14– | मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश, 2020 अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण। अधिनियम 2021। |
| | | **सिविल खण्ड** | 15– | प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी मूल्य के प्रकरण। |
| | | | 16– | भारतीय उत्तराधिकार अधि0 1925 की धारा 192 (भाग–7) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र |
| | | | 17– | म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 24 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपील एवं धारा 26 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। |
| | | | 18– | भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 72, 73, 74 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिका एवं आवेदन । |
| | | | 19– | सिविल जिला सिवनी में स्थापित न्यायालयों के विषय में धारा 24 सी0पी0सी0 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन। |
| | | | 20– | प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 के प्रकरणों में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड द्वारा पारित आदेश अथवा निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 21– | भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रोवेट एव प्रशासनिक पत्र संबंधी प्रकरण। |
| | | | 22– | म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत सिविल पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 139(5), 172(3)। |
| | | | 23– | मोटरयान अधि0 1988 की धारा 64, 166 के अंतर्गत प्रस्तुत, तहसील सिवनी, बरघाट, केवलारी, कुरई से उत्पन्न समस्त मृत्यु दावा प्रकरण। |
| | | | 24– | भूमि अधिग्रहण अधि0 1984 के अंतर्गत संस्थापित होने वाले प्रकरण। |
| | | | 25– | राज्य शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचनाकमांक–एफ–12–2–2014(VII) शाखा 2ए भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधि0 2013(2013 का 30) की धारा–51 की उपधारा–1 व 2 के साथ पठित धारा–64 के अर्धीन, उन्हें किये गये निर्देशों (References) या धारा–64 की उपधारा–1 के द्वितीय परंतुक के अधीन आवेदक के द्वारा लिये गये आवेदन को ग्रहण करने तथा विनिश्चय करने से संबंधित प्रकरण। |
| | | | 26– | भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी, सिवनी के द्वारा म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधि0 1961 की धारा–31 के अंतर्गत पारित आदेशों से उदभूत अपील। |
| | | | 27– | लोक परिसर बेदखली अधि0 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिकाएँ। |
| | | | 28– | प्रांतीय लघुवाद अधि0 1887 के अंतर्गत 500/–रू0 से अधिक किन्तु 1000/– रू0 तक के मूल्यांकन तक के लघुवाद प्रकरण। |
| | | | 29– | ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय सिवनी द्वारा सिविल प्रकरणों में घोषित निर्णयों से उत्पन्न अपीले। |
| | | | 30– | अन्य सभी ऐसे वाद, याचिकाएँ, आवेदन पत्र, अपील पुनरीक्षण, रिफेन्स, विविध आवेदन जिनके विषय में सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस कार्य विभाजन पत्रक में स्पष्ट रूप से प्रावधानित न हो, किंतु राज्य अथवा केन्द्रों के अधि0 में, ऐसे प्रकरणों की सुनवाई की अधिकारिता जिले के मूल न्यायालय, सिविल कोर्ट को प्रावधानेत की गई हो। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31– | मानव अधिकार अधिनियम, 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिकाएँ। |
| | | | 32– | (अ) म0प्र0 म्यूनिसपियल कॉपरेशन अधि0 1956 के अंतर्गत चुनाव याचिकायें।<br>(ब) म0प्र0 नगरपालिका अधि0 1961 के अंतर्गत चुनाव याचिकायें। |
| | | | 33– | कॉमर्शियल कोर्ट, कॉमर्शियल डिवीजन एंड कॉमर्शियल अपीलेट डिवीजन ऑफ हाईकोर्ट एक्ट 2015 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिकाएँ। |
| | | | 34– | अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के बारे मे क्षेत्राधिकार का प्रयोग तथा दावों का विचारण। |
| | | | 35– | अन्य ऐसे प्रकरण जो भारत वर्ष के किसी भी न्यायालयों से माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार सिविल जिला सिवनी में सुनवाई किये जाने हेतु अंतरित हो। |
| 2. | प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश सिवनी / विशेष न्यायाधीश, एस.सी. / एस.टी (पी.ए) एक्ट सिवनी<br>एवं<br>प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सिवनी के प्रथम अतिरिक्त सदस्य | सत्र खण्ड, सिवनी | 1– | सत्र खण्ड सिवनी के अंतर्गत सभी आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्या0निवा0) अधि0 1989 (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम, 1989) के अंतर्गत विशेष सत्र प्रकरण (पॉक्सों के अंतर्गत आने वाले अपराधो को छोड़कर)। |
| | | | 2– | अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम, 1989 के अंतर्गत उदभूत होने वाले आपराधिक मामलों से संबंधित समस्त आरक्षी केन्द्रों के रिमांड / जमानत संबंधी आवेदन पत्र (पॉक्सों के अंतर्गत आने वाले अपराधो को छोड़कर)। |
| | | | 3– | म0प्र0 शासन द्वारा अथवा माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष आदेश के अंतर्गत विचारण हेतु सौंपे गये सत्र अथवा विशेष प्रकरण। |
| | | | 4– | समय–समय पर सत्र न्यायाधीश, सिवनी द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आवेदन, जमानत आवेदन, स्थानांतरित किये जाने वाले वाद, मुआवजा प्रकरण एवं अन्य प्रकरण। |
| 3. | प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, एवं 1988, म0प्र0 शासन विधि | सत्र खण्ड एवं तहसील बरघाट जिला सिवनी | 1– | सत्र खण्ड, सिवनी के अंतर्गत स्थित सभी आरक्षी केन्द्र से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उदभूत आपराधिक / विशेष प्रकरण जो सीधे विशेष न्यायालय में प्रस्तुत होगे। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना भोपाल दिनांक 14.10.2019 (मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम) एवं सदस्य प्रथम अति0 दुर्घटना दावा अधिकरण, सिवनी | **सिविल खण्ड बरघाट** | 2– | मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन मामलों के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। |
| | | | 3– | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत रिमाण्ड एवं धारा 438, 439, 439(2) दं0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन। |
| | | | 4– | म0प्र0 विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम के अंतर्गत उपार्पित होकर प्राप्त विशेष सत्र प्रकरण। |
| | | | 5– | म0प्र0 शासन द्वारा अथवा माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष आदेश के अंतर्गत विचारण हेतु सौंपे गये सत्र अथवा विशेष प्रकरण। |
| | | | 6– | राजस्व तहसील बरघाट से उत्पन्न होने वाले रू0 1,0000001/– (रू0 एक करोड़ एक) से अधिक मूल्य के नियमित व्यवहार वाद एवं मध्यस्थता एवं सुलह अधि0 1990 से संबंधित आवेदन (बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं की ऋण वसूली के ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार ऋण वसूली ट्रिबूनल को प्राप्त है।) |
| | | | 7– | तहसील बरघाट से उत्पन्न मोटरयान अधि0 1988 की धारा 163–ए, 164, 166 के अंतर्गत प्रस्तुत उपहति से संबंधित समस्त मुआवजा प्रकरण। |
| | | | 8– | भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1982 की धारा–72 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। |
| | | | 9– | प्रोवेन्सियल स्माल कॉज कोर्टस अधि0 1987 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रू0 500 से अधिक किंतु रू0 1000 मूल्य तक के वाद। |
| | | | 10– | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिवनी एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश की न्यायालय के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिवनी की न्यायालय द्वारा सिविल वाद में घोषित निर्णय एवं पारित आदेशों की नियमित एवं विविध अपील। |
| | | | 11– | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिवनी द्वारा समय–समय पर स्थानांतरित किये जाने वाले अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आवेदन, जमानत आवेदन, वाद, मुआवजा प्रकरण एवं अन्य प्रकरण। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश / लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण विधान 2012, के अंतर्गत प्राधिकृत विशेष न्यायाधीश | सत्र खण्ड, सिवनी के अंतर्गत स्थित आरक्षी केन्द्र (आरक्षी केन्द्र लखनादौन, छपारा, धूमा, घंसौर, धनौरा, किंदरई, आदेगांव से उत्पन्न मामलों को छोड़कर) | 1— सत्र खण्ड सिवनी के अंतर्गत सभी आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,2012 अंतर्गत (आरक्षी केन्द्र लखनादौन, छपारा, धूमा, घंसौर, धनौरा, किंदरई, आदेगांव से उत्पन्न मामलों को छोड़कर) विशेष सत्र प्रकरण जो सीधे विशेष न्यायालय में प्रस्तुत होगे।<br>2— लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत उदभूत होने वाले आपराधिक मामलों से संबंधित सत्र खण्ड सिवनी स्थित समस्त आरक्षी केन्द्रों की रिमाण्ड कार्यवाहियॉ तथा जमानत संबंधी आवेदन पत्र।<br>3— सत्र खण्ड़ सिवनी के अंतर्गत सभी आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्या0निवा0) अधि0 1989 अंतर्गत मामले जिनमे फरियादी 18 वर्ष से कम हों।<br>4— समय—समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण तथा बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या सहित बलात्कार अथवा हत्या बलात्कार से जुड़े हुये अपराधों के अंतर्गत विशेष सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आवेदन तथा जमानत संबंधी आवेदन पत्र आदि (लखनादौन न्यायालय का क्षेत्राधिकार छोड़कर)।<br>5— म0प्र0 शासन द्वारा अथवा माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष आदेश के अंतर्गत विचारण हेतु सौंपे गये सत्र अथवा विशेष प्रकरण।<br>6— समय—समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आवेदन, जमानत आवेदन, वाद, मुआवजा प्रकरण एवं अन्य प्रकरण। |
| 5. | तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना अनुसार बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, हत्या सहित बलात्संग अथवा इनसे जुडे हुये अन्य अपराधों के त्वरित विचारण के लिये (मुख्यालय सिवनी एवं तहसील कुरई हेतु) एवं सदस्य तृतीय अति0 दुर्घटना दावा अधिकरण, सिवनी | **सत्र खण्ड**<br>**सिविल तहसील, सिवनी तथा कुरई** | 1— समय—समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण तथा बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या सहित बलात्कार अथवा हत्या बलात्कार से जुड़े हुये अपराधों के अंतर्गत विशेष सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आवेदन तथा जमानत संबंधी आवेदन पत्र आदि (लखनादौन न्यायालय का क्षेत्राधिकार छोड़कर)।<br>2— तहसील सिवनी एवं कुरई के रू0 1,0000001/— (रू0 एक करोड़ एक) से अधिक मूल्य के नियमित व्यवहार वाद एवं मध्यस्थता एवं सुलह अधि0 1990 से |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | संबंधित आवेदन (बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं की ऋण वसूली के ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार ऋण वसूली ट्रिब्यूनल को प्राप्त है।) |
| | | | 3– | तहसील सिवनी एवं कुरई से उत्पन्न मोटरयान अधि0 1988 की धारा 163–ए, 164, 166 के अंतर्गत प्रस्तुत उपहति से संबंधित समस्त मुआवजा प्रकरण। |
| | | | 4– | द्वितीय जिला न्यायाधीश, सिवनी द्वारा निराकृत मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों तथा व्यवहार प्रकरणों से उद्भुत होने वाले निष्पादन प्रकरण, विविध प्रकरण, विविध कार्यवाहियॉ तथा माननीय अपीलीय न्यायालय से रिमाण्ड होकर प्राप्त होने वाले प्रकरणों में अग्रिम कार्यवाही कर, विधेवत् सुनवाई एवं निराकरण किया जाना। |
| | | | 5– | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिवनी एवं द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिवनी की न्यायालय द्वारा सिविल वाद में घोषित निर्णय एवं पारित आदेशों की नियमित एवं विविध अपील। |
| | | | 6– | म0प्र0 शासन द्वारा अथवा माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष आदेश के अंतर्गत विचारण हेतु सौंपे गये सत्र, विशेष प्रकरण एवं सिविल प्रकरण। |
| | | | 7– | समय–समय पर सत्र न्यायाधीश, सिवनी द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आवेदन, जमानत आवेदन, मुआवजा एवं अन्य प्रकरण। |
| 6. | चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी एवं विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0) सिवनी तथा प्राधिकृत एवं पीठासीन अधिकारी, विद्युत अधिनियम, 2003 तथा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 एवं सदस्य चतुर्थ अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सिवनी। | सत्र खण्ड, सिवनी के अंतर्गत स्थित आरक्षी केन्द्र (आरक्षी केन्द्र लखनादौन, छपारा, धूमा, घंसौर, धनौरा, किंदरई, आदेगांव से उत्पन्न मामलों को छोड़कर) एवं | 1– | स्वापक औषधियां एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले विशेष प्रकरण, जो सीधे विशेष न्यायालय में प्रस्तुत होने पर (न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अधिकारिता में विचारणीय मामलों को छोड़कर)। |
| | | | 2– | स्वापक औषधियां एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण से संबंधित समस्त आरक्षी केन्द्रों के रिमांड/जमानत संबंधी आवेदन पत्र। |
| | | | 3– | जिलान्तर्गत राष्ट्रीय जॉच एजेंसी (NIA) अधिनियम 2008 अंतर्गत उदभूत होने वाले प्रकरण/रिमांड/जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सीधे विशेष न्यायालय में प्रस्तुत होगे। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 4– | स्वापक औषधियां एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण से संबंधित समस्त आरक्षी केन्द्रों के रिमांड/जमानत संबंधी आवेदन पत्र। |
| | | | 5– | अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन को आवंटित क्षेत्र को छोड़कर उत्पन्न होने वाले म0प्र0 विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। |
| | | | 6– | म0प्र0 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत धारा–438, 439, 439(2) दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन (लखनादौन न्यायालय का क्षेत्राधिकार छोड़कर)। |
| | | | 7– | म0प्र0 शासन द्वारा अथवा माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष आदेश के अंतर्गत विचारण हेतु सौंपे गये सत्र अथवा विशेष प्रकरण। |
| | | **सिविल तहसील केवलारी** | 8– | तहसील केवलारी के रू0 1,0000001/– (रू0 एक करोड़ एक) से अधिक मूल्य के नियमित व्यवहार वाद एवं मध्यस्थता एवं सुलह अधि0 1990 से संबंधित आवेदन (बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं की ऋण वसूली के ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार ऋण वसूली ट्रिब्यूनल को प्राप्त है।) |
| | | | 9– | तहसील केवलारी से उत्पन्न मोटरयान अधि0 1988 की धारा 163–ए, 164, 166 के अंतर्गत प्रस्तुत उपहति से संबंधित समस्त मुआवजा प्रकरण। |
| | | | 10– | न्यायालय, सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित आर्बिटेशन एवं कन्सिलिएशन एक्ट की धारा–9 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। |
| | | | 11– | न्यायालय, सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित आर्बिट्रेशन एवं कन्सिलिएशन एक्ट की धारा–34 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन जिनका मूल्यांकन 50 लाख से कम हो एवं उनसे संबंधित प्रवर्तन प्रकरण। |
| | | सिविल खण्ड | 12– | न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित आर्बिट्रेशन एवं कन्सिलिएशन एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले/प्राप्त हुये निष्पादन प्रकरण। |
| | | | 13– | भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1982 की धारा–72 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। |
| | | | 14– | न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित चैरेटेबल तथा रिलीजियस ट्रस्ट अधि0 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 15– | न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबधित म0प्र0 म्यूनिसपल कार्पो0 अधि0 की धारा–307 के अंतर्गत आवेदन पत्र। |
| | | | 16– | न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबधित हिन्दू अवयस्कता एवं सरंक्षण अधि0 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। |
| | | | 17– | न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित हिन्दू दत्तक एवं भरण–पोषण अधि0 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। |
| | | | 18– | न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित धारा–41 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण अधि0 2000) के अंतर्गत याचिकायें। |
| | | | 19– | न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रोवेन्सियल इन्साल्ववेंसी अधि0 1920 के अंतर्गत 50 हजार रूपये से अधिक मूल्य के प्रकरण। |
| | | | 20– | न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रोवेन्सियल इन्साल्ववेंसी अधि0 1920 के अंतर्गत अपीलें। |
| | | | 21– | न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित पंचायत अधिनियम के अंतर्गत अपीलें, पुनरीक्षण तथा आवेदन पत्र। |
| | | | 22– | प्रोवेन्सियल स्माल कॉज कोर्टस अधि0 1987 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रू0 500 से अधिक किंतु रू0 1000 मूल्य तक के वाद। |
| | | | 23– | न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित म0प्र0 पब्लिक ट्रस्ट अधि0 के अन्तर्गत प्रकरण। |
| | | | 24– | न्यायालय सिवनी के क्षेत्राधिकार से संबंधित लोकल फंडस ऑडिट अधि0 1938 के अंतर्गत आवेदन पत्र। |
| | | | 25– | द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिवनी एवं षष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिवनी तथा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड केवलारी जिला सिवनी की न्यायालय द्वारा सिविल वाद में घोषित निर्णय एवं पारित आदेशों की नियमित एवं विविध अपील। |
| | | | 26– | समय–समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आवेदन, जमानत आवेदन, वाद, मुआवजा प्रकरण एवं अन्य प्रकरण। |
| | | | 27– | द्वितीय जिला न्यायाधीश, सिवनी एवं प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के सदस्य द्वितीय अतिरिक्त मोटर दावा |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | अधिकरण, सिवनी द्वारा निराकृत मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों तथा व्यवहार प्रकरणों से उद्भुत होने वाले निष्पादन प्रकरण, विविध प्रकरण, विविध कार्यवाहियॉ तथा माननीय अपीलीय न्यायालय से रिमाण्ड होकर प्राप्त होने वाले प्रकरणों में अग्रिम कार्यवाही कर, विधिवत् सुनवाई एवं निराकरण किया जाना। |
| 7 | प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना अनुसार बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, हत्या सहित बलात्संग अथवा इनसे जुडे हुये अन्य अपराधों के त्वरित विचारण के लिये (मुख्यालय लखनादौन एवं घंसौर हेतु) एवं सदस्य प्रथम अतिरिक्त दुर्घटना दावा अधिकरण, लखनादौन | तहसील न्यायालय लखनादौन के अंतर्गत स्थित आरक्षी केन्द्र लखनादौन, घंसौर एवं किंदरई (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं म0प्र0 विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचारण अधिनियम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण विधान, 2012 अंतर्गत सत्र अथवा विशेष न्यायाधीश सिवनी, को आबंटित सत्र प्रकरण (एन.डी.पी.एस. को छोड़कर) एवं<br><br>**सिविल तहसील लखनादौन, धनौरा** | 1—<br>2—<br>3—<br>4—<br>5—<br>6—<br>7—<br>8—<br>9—<br>10— | आरक्षी केन्द्र लखनादौन, घंसौर व किंदरई, के अंतर्गत उद्भूत होने वाले सत्र प्रकरण, सत्र न्यायाधीश सिवनी द्वारा अंतरित किये जाने पर।<br>अन्य सभी सत्र प्रकरण / विशेष प्रकरण जो सत्र न्यायाधीश सिवनी द्वारा सुनवाई हेतु अंतरित हो।<br>न्या0म0प्र0श्रे0 (प्रथम व्यव. न्या. वरिष्ठ खण्ड, द्वितीय व्यव. न्या. कनिष्ठ खण्ड) लखनादौन तथा न्या0म0प्र0श्रे0 (व्यव. न्या. कनिष्ठ खण्ड), घंसौर द्वारा घोषित किये जाने वाले निर्णयों से संबंधित दाण्डिक अपील, दाण्डिक प्रकरणों में पारित किये जाने वाले आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण एवं विविध कार्यवाहियां।<br>धारा 438, 439 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र लखनादौन, घंसौर व किंदरई एवं उक्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले आबकारी विभाग / वन विभाग से उदभूत आपराधिक मामलों के जमानत संबंधी आवेदन पत्र (भ्रष्टा.निवा. अधि.एवं म0प्र0 वि. भ्रष्ट आ.अधि.अनु.जाति / जनजाति अत्या. निवा.अधि. एवं पॉक्सो एक्ट, 2012 के अंतर्गत विशेष सत्र प्रकरणों से संबंधित जमानत को छोड़कर)।<br>रू0 1,0000001 / —(एक करोड़ एक) रू0 से अधिक मूल्य के नियमित व्यवहार वाद एवं मध्यस्थता एवं सुलह अधि0 1990 से संबंधित आवेदन (बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं की ऋण वसूली के ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार ऋण वसूली ट्रिबूनल को प्राप्त है।)<br>प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी मूल्य के प्रकरण।<br>भारतीय उत्तराधिकार अधि0 1925 की धारा 192 (भाग—7) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र<br>मुस्लिम विवाह विच्छेद अधि0 1939 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।<br>हिन्दू वयस्कता एवं संरक्षकता अधि0 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।<br>हिदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। विशेष विवाह अधि0 1954, विदेशी विवाह |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | अधि0 1969 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। |
| | | | 11– | म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 24 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपील एवं धारा 26 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। |
| | | | 12– | भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 72, 73, 74 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिका एवं आवेदन। |
| | | | 13– | मानसिक अस्वस्थता अधिनियम 1987 की धारा 26, 31, 34, 50, 53, 54, 63, 65, 79 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के अंतर्गत पेश होने वाले प्रकरण। |
| | | | 14– | प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड लखनादौन तथा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लखनादौन द्वारा सिविल वाद में घोषित निर्णय एवं पारित आदेशों की नियमित एवं विविध अपील। |
| | | | 15– | प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 के प्रकरणों में व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ट एवं कनिष्ट खण्ड लखनादौन द्वारा पारित आदेश अथवा निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील। |
| | | | 16– | भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रोवेट एवं प्रशासनिक पत्र संबंधी प्रकरण। |
| | | | 17– | म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली चुनाव याचिका। |
| | | | 18– | म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत सिविल पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 139(5), 172(3)। |
| | | | 19– | मोटरयान अधि0 1988 की धारा 163–ए, 164, 166 के अंतर्गत तहसील लखनादौन धनौरा, से संबधित प्रस्तुत समस्त मूल्यांकन के मुआवजा प्रकरण। |
| | | | 20– | म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधि0 1961 की धारा 31 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपील। |
| | | | 21– | लोक परिसर बेदखली अधि0 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिकाएँ। |
| | | | 22– | हिन्दु विवाह अधि0 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिकाएँ। |
| | | | 23– | भारतीय विवाह विच्छेद 1969 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। |
| | | | 24– | प्रांतीय लघुवाद अधि0 1887 के अंतर्गत 500/–रू0 से अधिक किन्तु 1000/–रू0 तक के मूल्यांकन तक के लघुवाद प्रकरण। |
| | | | 25– | तहसील मुख्यालय, लखनादौन के क्षेत्राधिकार से संबंधित अब्रेटशेन कन्सिलिएशन की धारा–9 एवं 34 के |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन, जिनका मूल्यांकन 50 लाख रूपये से कम हो, से संबंधित आवेदन एवं उनसे उदभूत निष्पादन प्रकरण। |
| | | | 26– | द्वितीय जिला एवं अपर न्यायाधीश लखनादौन का पद रिक्त होने पर उत्पन्न निष्पादन प्रकरण एवं विविध आवेदन एवं अपीलीय न्यायालय से लौटने वाले प्रकरणों में दिये गये अपीलीय निर्देश की कार्यवाही हेतु प्रकरणों का लिया जाकर निराकरण किया जाना। |
| | | | 27– | म0प्र0 शासन द्वारा अथवा माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष आदेश के अंतर्गत विचारण हेतु सौंपे गये सत्र, विशेष प्रकरण एवं सिविल प्रकरण। |
| | | | 28– | समय–समय पर सत्र न्यायाधीश, सिवनी द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आवेदन, जमानत आवेदन, मुआवजा एवं अन्य प्रकरण। |
| 8 | द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, लखनादौन, प्राधिकृत एवं पीठासीन अधिकारी, विद्युत अधिनियम, 2003 एवं सदस्य द्वितीय अति0 दुर्घटना दावा अधिकरण, लखनादौन | तहसील न्यायालय लखनादौन एवं घंसौर के अंतर्गत स्थित समस्त आरक्षी केन्द्र (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं म0प्र0 विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचारण अधिनियम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण विधान, 2012 के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश अथवा विशेष न्यायाधीश सिवनी, को आंबंटित सत्र प्रकरण अथवा (एन0डी0पी0एस0) विशेष प्रकरणों को छोड़कर) | 1– | आरक्षी केन्द्र आदेगॉव, धनौरा, छपारा, धूमा के अंतर्गत उद्भूत होने वाले सत्र प्रकरण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी द्वारा अंतरित किये जाने पर। |
| | | | 2– | अन्य सभी सत्र प्रकरण/विशेष प्रकरण जो सत्र न्यायाधीश, सिवनी द्वारा सुनवाई हेतु अंतरित हो। |
| | | | 3– | न्या0म0प्र0श्रे0 (द्वितीय व्यव. न्या. वरिष्ठ खण्ड, अतिरिक्त व्यव. न्या. वरिष्ठ खण्ड तथा प्रथम व्यव. न्या. कनिष्ठ खण्ड) लखनादौन द्वारा घोषित किये जाने वाले निर्णयों से संबंधित दाण्डिक अपील, दाण्डिक प्रकरणों में पारित किये जाने वाले आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण एवं विविध कार्यवाहियां। |
| | | | 4– | तहसील न्यायालय लखनादौन के अंतर्गत सभी आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत विशेष सत्र प्रकरण। |
| | | | 5– | लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत उदभूत होने वाले आपराधिक मामलों से संबंधित तहसील न्यायालय लखनादौन स्थित समस्त आरक्षी केन्द्रों की रिमाण्ड कार्यवाहियॉ तथा जमानत संबंधी आवेदन पत्र। |
| | | | 6– | धारा 438, 439 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र आदेगॉव, धनौरा, छपारा, धूमा एवं उक्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले आबकारी विभाग/वन विभाग से उदभूत आपराधिक मामलों के जमानत संबंधी |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | आवेदन पत्र (भ्रष्टा.निवा. अधि.एवं म0प्र0 वि. भ्रष्ट आ.अधि.अनु.जाति/जनजाति अत्या. निवा.अधि., अंतर्गत विशेष सत्र प्रकरणों से संबंधित जमानत को छोड़कर)। |
| | | तहसील<br>घंसौर एवं छपारा | 7–<br>8–<br>9–<br>10–<br>11–<br>12–<br>13–<br>14–<br>15–<br>16–<br>17–<br>18–<br>19– | तहसील न्यायालय लखनादौन के अन्तर्गत सभी आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले म0प्र0 विद्युत अधिनियम, 2003 से संबंधित उदभूत प्रकरण जो विशेष न्यायालय में प्रस्तुत होगें।<br>म0प्र0 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत धारा–438, 439, 439(2) दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन।<br>न्यायिक अधिकारी ग्राम न्यायालय, लखनादौन के द्वारा विचारित अपराधों के अंतर्गत घोषित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत दाण्डिक अपील।<br>रू0 1,0000001/–(एक करोड़ एक) रू0 से अधिक मूल्य के नियमित सिविल व्यवहार वाद एवं मध्यस्थता एव सुलह अधि0 1990 से संबंधित आवेदन (बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं की ऋण वसूली के ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार ऋण वसूली ट्रिबूनल को प्राप्त है।)<br>प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी मूल्य के प्रकरण।<br>भारतीय उत्तराधिकार अधि0 1925 की धारा 192 (भाग–7) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।<br>मुस्लिम विवाह विच्छेद अधि0 1939 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।<br>हिन्दू व्यस्कता एवं संरक्षकता अधि0 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।<br>हिदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।<br>विशेष विवाह अधि0 1954, विदेशी विवाह अधि0 1969 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।<br>म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 24 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपील एवं धारा 26 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।<br>भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 72, 73, 74 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिका एवं आवेदन।<br>मानसिक अस्वस्थता अधिनियम 1987 की धारा 26, 31, 34, 50, 53, 54, 63, 65, 79 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियन 1890 के अंतर्गत पेश होने वाले प्रकरण। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 20– | अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड लखनादौन एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड घंसौर द्वारा सिविल वाद में घोषित निर्णय एवं पारित आदेशों की नियमित एवं विविध अपील। |
| | | | 21– | प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 के प्रकरणों में अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड लखनादौन एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड घंसौर द्वारा पारित आदेश अथवा निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील। |
| | | | 22– | भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रोवेट एवं प्रशासनिक पत्र संबंधी प्रकरण। |
| | | | 23– | म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली चुनाव याचिका। |
| | | | 24– | म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत सिविल पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 139(5), 172(3)। |
| | | | 25– | मोटरयान अधि0 1988 की धारा 163–ए, 164, 166 के अंतर्गत तहसील घंसौर व छपारा से संबधित प्रस्तुत समस्त मूल्यांकन के मुआवजा प्रकरण। |
| | | | 26– | म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधि0 1961 की धारा 31 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपील। |
| | | | 27– | लोक परिसर बेदखली अधि0 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिकाएँ। |
| | | | 28– | हिन्दु विवाह अधि0 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली याचिकाएँ। |
| | | | 30– | भारतीय विवाह विच्छेद 1969 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। |
| | | | 31– | प्रांतीय लघुवाद अधि0 1887 के अंतर्गत 500/– रू0 से अधिक किन्तु 1000/– रू0 तक के मूल्यांकन तक के लघुवाद प्रकरण। |
| | | | 32– | ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, लखनादौन द्वारा सिविल प्रकरणों में घोषित निर्णयों से उत्पन्न अपीले। |
| | | | 33– | प्रधान जिला न्यायाधीश, सिवनी द्वारा समय–समय पर स्थानांतरित किये जाने वाले वाद, मुआवजा प्रकरण। |
| | | | 34– | प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन का पद रिक्त होने पर उत्पन्न निष्पादन प्रकरण एवं विविध आवेदन एवं |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | अपीलीय न्यायालय से लौटने वाले प्रकरणों में दिये गये अपीलीय निर्देश की कार्यवाही हेतु प्रकरणों का लिया जाकर निराकरण किया जाना। |
| 9 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सिवनी। | **तहसील सिवनी एवं कुरई** | 1– | 5,00,001/– रू0 (पॉच लाख एक रू0) से अधिक किन्तु 10000000/–रू0(एक करोड़ रू0) के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अधीन पेश होने मामले (ऐसे मामलों को छोड़कर जिनकी सुनवाई करने की अधिकारिता ऋण वसूली ट्रिबूनल अथवा ग्राम न्यायालय, सिवनी को प्राप्त हैं) |
| | | | 2– | प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधि0 के अंतर्गत 200/–रू0 से अधिक किन्तु 500/–रू0 से अनधिक मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण। |
| | | | 3– | भारतीय उत्तराधिकार अधि0 1925 के भाग–10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। |
| | | | 4– | मानसिक स्वास्थय देखरेख अधिनियम 2017 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। |
| | | | 5– | जिले के बाहर से अंतरण पर प्राप्त होने वाले 5,00,001/– रू0 (पॉच लाख एक रू0) से अधिक किन्तु 10000000/–रू0 (एक करोड़ रू0) से अनधिक मूल्यांकन के ऐसे निष्पादन प्रकरण जो व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ एवं कनिष्ठ खण्ड द्वारा निर्णित हो। |
| | | | 6– | राज्य अथवा केन्द्र के अन्य अधिनियमों के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के सुनवाई हेतु प्राधिकृत अधिकारिता के आवेदन एवं अपील। |
| | | | 8– | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के अति0 न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा निर्णित प्रकरणों के निष्पादन प्रकरण एवं अतिरिक्त न्यायाधीश का तथा द्वितीय/ तृतीय/ चतुर्थ/पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिवनी का पद रिक्त होने पर उद्भूत विविध कार्यवाहियॉ एवं अपील न्यायालय से वापस हुए प्रकरणों में अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रकरणों में सुनवाई किया जाना। |
| | | | 9– | म0प्र0 नगरपालिका विधि संहिता की धारा–172 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपील। |
| | | | 10– | प्रधान जिला न्यायाधीश सिवनी द्वारा समय–समय पर अंतरित किये गये प्रकरण याचिकाऍ, आवेदन। |
| 10 | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सिवनी एवं ग्राम न्यायाधिकारी सिवनी | | 1– | प्रधान जिला न्यायाधीश सिवनी द्वारा समय–समय पर अंतरित किये गये प्रकरण याचिकाऍ, आवेदन। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सिवनी | **राजस्व तहसील केवलारी** | 1— | 5,00,001/— रू0 (पॉच लाख एक रू0) से अधिक किन्तु 10000000/—रू0(एक करोड़ रू0) के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अधीन पेश होने मामले (ऐसे मामलों को छोड़कर जिनकी सुनवाई करने की अधिकारिता ऋण वसूली ट्रिबूनल अथवा ग्राम न्यायालय, सिवनी को प्राप्त हैं) |
| | | | 2— | प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधि0 के अंतर्गत 200/—रू0 से अधिक किन्तु 500/—रू0 से अनधिक मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण। |
| | | | 3— | प्रधान जिला न्यायाधीश सिवनी द्वारा समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण याचिकाएँ, आवेदन। |
| 12 | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सिवनी | **राजस्व तहसील बरघाट** | 1— | 5,00,001/— रू0 (पॉच लाख एक रू0) से अधिक किन्तु 10000000/—रू0(एक करोड़ रू0) के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अधीन पेश होने मामले (ऐसे मामलों को छोड़कर जिनकी सुनवाई करने की अधिकारिता ऋण वसूली ट्रिबूनल अथवा ग्राम न्यायालय, सिवनी को प्राप्त हैं) |
| | | | 2— | प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधि0 के अंतर्गत 200/—रू0 से अधिक किन्तु 500/—रू0 से अनधिक मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण। |
| | | | 3— | प्रधान जिला न्यायाधीश सिवनी द्वारा समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरण याचिकाएँ, आवेदन। |
| 13 | पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सिवनी | | | **पद रिक्त** |
| 14 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लखनादौन | **राजस्व तहसील लखनादौन** (ग्राम न्यायालय को आवंटित क्षेत्रीय एवं आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमा के मामलों को छोड़कर) | 1— | 5,00,001/—(पॉच लाख एक) रू0 से अधिक किन्तु 10000000/— (एक करोड) रू0 तक के व्यवहार वाद। ऐसे मामले अस्थायी निषेधज्ञा आवेदन साथ—साथ प्रस्तुत हुये है। |
| | | | 2— | 5,00,001/—(पॉच लाख एक) रू0 से अधिक किन्तु 10000000/— (एक करोड) रू0 तक के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अधीन पेश होने मामले (ऐसे मामलों को छोड़कर जिनकी सुनवाई करने की अधिकारिता ऋण वसूली ट्रिबूनल अथवा परिवार न्यायालय, सिवनी को प्राप्त हैं) |
| | | | 3— | प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधि0 के अंतर्गत 200/—रू0 से अधिक किन्तु 500/—रू0 से अनधिक मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण। |
| | | | 4— | नगर पालिका अधि0 139, 172 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीलें। |
| | | | 5— | तहसील न्यायालय अंतर्गत समस्त तहसीलों के भारतीय उत्तराधिकार अधि0 1925 के भाग—10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 6– | जिले के बाहर के न्यायालयों से तह0 लखनादौन, छपारा, घंसौर, धनौरा के अंतर्गत निवासरत् मद्यून अथवा स्थिति संपत्ति संबंधित 1,00,000,00/–(एक करोड़) रू0 तक के मूल्य के प्रवर्तन प्रकरण, जो प्रकरण व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड अथवा कनिष्ठ खण्ड द्वारा निर्णित हुये हो। |
| | | | 7– | तहसील मुख्यालय लखनादौन में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अथवा कनिष्ठ खण्ड के समस्त रिक्त न्यायालयों द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले निष्पादन प्रकरण, विविध कार्यवाहियॉ एवं आवेदन पत्र। |
| 15 | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लखनादौन एवं न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय लखनादौन | **राजस्व तहसील छपारा** एवं ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रदत्त क्षेत्राधिकार | 1– | 5,00,001/–(पॉच लाख एक) रू0 से अधिक किन्तु 10000000/– (एक करोड) रू0 तक के व्यवहार वाद। ऐसे मामले अस्थायी निषेधज्ञा आवेदन साथ–2 प्रस्तुत हुये है। |
| | | | 2– | 5,00,001/–(पॉच लाख एक) रू0 से अधिक किन्तु 10000000/–(एक करोड) रू0 तक के पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अधीन पेश होने मामले (ऐसे मामलों को छोड़कर जिनकी सुनवाई करने की अधिकारिता ऋण वसूली ट्रिबूनल अथवा परिवार न्यायालय, सिवनी को प्राप्त हैं) |
| | | | 3– | प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधि0 के अंतर्गत 200/–रू0 से अधिक किन्तु 500/–रू0 से अनधिक मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण। |
| | | | 4– | नगर पालिका अधि0 139, 172 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीलें। |
| 16 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश,वरिष्ठ खण्ड लखनादौन की न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लखनादौन | राजस्व तहसील धनौरा (ग्राम न्यायालय को आवंटित क्षेत्रीय एवं आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमा के मामलों को छोड़कर) | 1– | 5,00,001/–(पॉच लाख एक) रू0 से अधिक किन्तु 10000000/– (एक करोड) रू0 तक के व्यवहार वाद। ऐसे मामले अस्थायी निषेधज्ञा आवेदन साथ–2 प्रस्तुत हुये हो। |
| | | | 2– | 5,00,001/–(पॉच लाख एक) रू0 से अधिक किन्तु 10000000/–(एक करोड) रू0 तक के पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अधीन पेश होने मामले (ऐसे मामलों को छोड़कर जिनकी सुनवाई करने की अधिकारिता ऋण वसूली ट्रिबूनल अथवा परिवार न्यायालय, सिवनी को प्राप्त हैं) |
| | | | 3– | प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधि0 के अंतर्गत 200/–रू0 से अधिक किन्तु 500/–रू0 से अनधिक मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण। |
| | | | 4– | नगर पालिका अधि0 139, 172 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीलें। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सिवनी | | 1– | जिला न्यायाधीश, सिवनी द्वारा समय–समय पर सुनवाई हेतु अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। |
| 18 | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिवनी। | **राजस्व तहसील सिवनी** | 1– | 1/–रू0 से लेकर 5,00,000/–(पॉच लाख) रू0 तक के मूल्य के व्यवहार वाद। |
| | | | 2– | जिले के बाहर से अंतरित होकर 1/–रू0 से लेकर 5,00,000/–(पॉच लाख) रू0 तक के मूल्य के व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा निर्णित प्रकरणों से संबंधित निष्पादन प्रकरण। |
| | | | 3– | जिला न्यायाधीश, सिवनी द्वारा समय–समय पर सुनवाई हेतु अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। |
| 19 | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिवनी। | **राजस्व तहसील कुरई** | 1– | 1/–रू0 से लेकर 5,00,000/–(पॉच लाख) रू0 तक के मूल्य के व्यवहार वाद। |
| | | | 2– | प्रधान जिला न्यायाधीश, सिवनी द्वारा समय–समय पर सुनवाई हेतु अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। |
| 20 | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड सिवनी। | | 1– | जिला न्यायाधीश, सिवनी द्वारा समय–समय पर सुनवाई हेतु अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। |
| 21 | पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिवनी | | | **पद रिक्त** |
| 22 | षष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिवनी | | 1– | जिला न्यायाधीश, सिवनी द्वारा समय–समय पर सुनवाई हेतु अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। |
| 23 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड सिवनी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिवनी | **राजस्व तहसील बरघाट** | 1– | 1/–रू0 से लेकर 5,00,000/–(पॉच लाख)रू0 तक के मूल्य के व्यवहार वाद। |
| | | | 2– | जिला मुख्यालय सिवनी में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड तथा प्रशिक्षु न्यायाधीशों के समस्त रिक्त न्यायालयों द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले निष्पादन प्रकरण, विविध कार्यवाहियॉ एवं आवेदन पत्र। |
| | | | 3– | प्रधान जिला न्यायाधीश, सिवनी द्वारा समय– समय पर सुनवाई हेतु अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। |
| 24 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लखनादौन | **राजस्व तहसील लखनादौन छपारा एवं धनौरा** | 1– | 1/–रू0 से लेकर 5,00,000/–(पॉच लाख) रू0 तक के मूल्य के व्यवहार वाद वर्ग–अ एवं वर्ग–ब एवं इसी मूल्य के पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे संबंधित निष्पादन प्रकरण। |
| | | | 2– | तहसील मुख्यालय लखनादौन में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के समस्त रिक्त न्यायालयों द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले निष्पादन प्रकरण, विविध कार्यवाहियॉ एवं आवेदन पत्र। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 3– | प्रधान जिला न्यायाधीश, सिवनी द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। |
| 25 | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश,कनिष्ठ खण्ड लखनादौन | | | **पद रिक्त** |
| 26 | व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, घंसौर | **राजस्व तहसील घंसौर** (ग्राम न्यायालय को आवंटित क्षेत्रीय एवं आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमा के मामलों को छोड़कर) | 1– | 01/–(एक रूपए) रू0 से अधिक किन्तु 10000000/– (एक करोड) रू0 तक के व्यवहार वाद। ऐसे मामले अस्थायी निषेधज्ञा आवेदन साथ–2 प्रस्तुत हुये हो। |
| | | | 2– | 01/–(एक रूपए) रू0 से अधिक किन्तु 10000000/–(एक करोड) रू0 तक के पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अधीन पेश होने मामले (ऐसे मामलों को छोड़कर जिनकी सुनवाई करने की अधिकारिता ऋण वसूली ट्रिबूनल अथवा परिवार न्यायालय, सिवनी को प्राप्त हैं) |
| | | | 3– | प्रधान जिला न्यायाधीश, सिवनी द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। |
| 27 | व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, केवलारी | राजस्व तहसील केवलारी | 1– | 1/–रू0 से लेकर 5,00,000/–(पॉच लाख) रू0 तक के मूल्य के व्यवहार वाद अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे संबंधित निष्पादन प्रकरण। टीप :–(ऐसे मामलों को छोड़कर जिनकी सुनवाई करने की क्षेत्राधिकारिता ग्राम न्यायालय सिवनी अथवा ऋण वसूली ट्रिब्यूनल को प्राप्त हैं) |
| | | | 2– | प्रधान जिला न्यायाधीश, सिवनी द्वारा समय–समय पर सुनवाई हेतु अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। |

– **यह कार्य विभाजन आदेश दिनांक 20 अप्रैल 2024 से प्रभावशील होगा।**

<u>टीप :–</u>

1– कार्य विभाजन आदेश के प्रभावी होने की दिनांक के पूर्व से न्यायालयों में लंबित प्रकरणों पर इस कार्य विभाजन आदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा। लंबित प्रकरण यथावत् उन्हीं न्यायालयों में लंबित रहकर विधि अनुकूल सुनवाई कर निराकृत किये जायेंगे किन्तु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिवनी वर्तमान क्षेत्राधिकारिता के प्रकाश में लंबित प्रकरणों का आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में स्थानांतरण कर सकेगें।

2– सत्र खण्ड सिवनी के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले ''मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम'' के अंतर्गत, ''अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989'', विद्युत अधिनियम, 2003 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 से संबंधित प्रकरण तथा रिमाण्ड कार्यवाही सीधे संबंधित विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होंगे तथा उनसे संबंधित जमानत/सुपुर्दनामा कार्यवाही आदि संबंधी समस्त आवेदन पत्र भी संबंधित विशेष न्यायालय के समक्ष सीधे प्रस्तुत किये जावेंगे।

3– ''मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम'' के अंतर्गत एवं ''अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989'', के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय मे पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने अथवा पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा मे उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्रों एवं आवश्यक कार्यो का निराकरण जिल मुख्यालय मे उपलब्ध वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा।

4– सत्र न्यायाधीश, सिवनी द्वारा प्रथम बार अंतरित किये जाने पर जिस अपर सत्र न्यायाधीश द्वार प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा–438, 439 द.प्र.सं. का निराकरण किया गया है, उस आरोपी

का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर उन्ही अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई हेतु सत्र न्यायाधीश सिवनी के अवकाश/अनुपस्थित होने पर अंतरित हो जायेगा।

5— धारा–438, 439 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दिये गये जमानत आदेश को निरस्त किये जाने हेतु धारा 439(2) दं.प्र.सं. का आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर उन्ही न्यायाधीश द्वारा सुने जायेगें जिनके द्वारा जमानत आदेश पारित किया गया है तदानुसार प्रस्तुत आवेदन संबंधित न्यायाधीश के समक्ष सीधे प्रस्तुत होगें, अन्यथा सुनवाई हेतु अंतरित किये जायेगें।

6— दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 10 की उपधारा(3) मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश अवधि मे ग्रीष्माकालीन एवं शीतकालीन अवकाश के संबंध मे किये जाने वाले विशेष आदेश के अधीन रहते हुए दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 438 एवं 439 से संबंधित मुख्यालय मे प्रस्तुत होने वाले प्रत्येक दिवस के पंजीयन प्राथमिकता से एक–एक जमानत आवेदन पत्र कंमशः विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट सिवनी एवं प्रथम/तृतीय/चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी की न्यायालय मे अंतरित माने जाएगें, साथ ही यदि किसी दिवस मे 04 से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत होते है तो पुनः इसी कमानुसार अंतरित माने जाएगे। संबंधित कम के न्यायाधीश के अवकाश पर होने पर उनके प्रभार के न्यायाधीश के यहॉ उक्त अंतरित तिथि के जमानत आवेदन स्वयं ही अंतरित मान्य किये जावेगें।

7— सत्र न्यायाधीश सिवनी के अवकाश पर रहने की अवस्था में किसी भी थाने के अपराध कमांक से संबंधित किसी एक अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र जिन अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा निराकृत किया गया है उसी अपराध कमांक के अन्य अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्र सीधे उक्त अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को सुनवाई हेतु अंतरित हो जावेगें।

8— प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन के अवकाश पर होने की दशा में प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, लखनादौन के समक्ष प्रस्तुत होगे एवं द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने की दशा में प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगें।

9— यदि किसी न्यायालयीन कार्य दिवस/दिवसों में उपरोक्त न्यायालय में से यदि किसी एक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी कर्तव्य पर उपस्थित है एवं अन्य अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में उनके पास समस्त न्यायालयों का प्रभार रहेगा एवं उनके द्वारा विधि अनुसार आदेश पारित किये जा सकेंगें एवं कार्यवाही की जा सकेगी।

10— सत्र खण्ड में पदस्थ सत्र न्यायाधीश, सिवनी एवं अपर सत्र न्यायाधीशगण के एक साथ अवकाश पर होने अथवा पद रिक्त होने की अपवादिक दशा में धारा–10(3) दं.प्र.सं. के अनुसार सत्र प्रकरणों में प्रस्तुत होने वाले त्वरित निराकरण योग्य आवेदन अथवा जमानत आवेदनों का निराकरण करने का अधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी को रहेगा।

11— इस कार्य विभाजन पत्रक में जिन प्रकरणों, आवेदनों, याचिकाओं या अन्य विषय में दिशा–निर्देश स्पष्ट न हो ऐसे कोई प्रकरण आवेदन सीधे सत्र न्यायालय, सिवनी में उचित आदेश हेतु प्रस्तुत किये जा सकेगें।

12— प्रथम/द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन के न्यायालय में सुने जाने योग्य सत्र प्रकरण (कार्यविभाजन में दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार) उपार्पण कार्यवाही के पश्चात् सम्पूर्ण अभिलेख न्यायालय प्रथम सत्र न्यायाधीश/द्वितीय सत्र न्यायाधीश, लखनादौन को सीधे प्रेषित किये जायेंगे तथा आरोपीगण को प्रथम/द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में उपस्थित होने की तिथि सूचित की जावेगी।

13— प्रथम/द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, लखनादौन द्वारा सत्र प्रकरण को प्राप्त कर आरोपीगण की उपस्थिति सुनिश्चित कर प्रथम आदेश पत्रिका दो प्रतियों में तैयार की जाकर मूल प्रति सत्र प्रकरण के पंजीयन/स्थानांतरण आदेश हेतु सत्र न्यायालय सिवनी को अभियोग पत्र के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति की साथ प्रेषित की जायेगी, सम्पूर्ण अभिलेख एवं आरोपीगण को सत्र न्यायालय में प्रेषित करने अथवा उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

14— तहसील न्यायालय लखनादौन अंतर्गत प्रथम/द्वितीय अपर सत्र न्यायालयों को आवंटित आरक्षी केन्द्रों की सीमा के भीतर उद्भूत होने वाले समस्त प्रकार के प्रकरणों की अपील (यथा वन अपराध, आबकारी एक्ट एवं अन्य अधिनियम के प्रकरणों की अपील) की सुनवाई एवं निराकरण संबंधित अपर सत्र न्यायालय द्वारा की जावेगी।

15– सत्र न्यायालय सिवनी अंतर्गत किसी भी रिक्त सत्र न्यायालय की अपील/जमानत/रिमाण्ड आदि प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी की न्यायालय मे सीधे प्रस्तुत की जाएगी तथा तहसील न्यायालय लखनादौन मे अपर सत्र न्यायालय रिक्त होने की दशा मे अपील/जमानत/रिमाण्ड आदि की कार्यवाही द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन द्वारा की जावेगी।

16– व्यवसायिक परीक्षा मंडल से संबंधित अपराध के सभी आवेदन एवं प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर से अधिसूचित न्यायालय में प्रस्तुत होगें।

17– राजस्व से संबंधित पुनरीक्षण जिस थाना क्षेत्र से संबंधित है उसकी सुनवाई उसी न्यायालय मे होगी जिस न्यायालय मे उस थाने से संबंधित सत्र प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है।

18– जिन न्यायालयों/अधिकरण द्वारा मूल प्रकरण, विविध प्रकरण, विविध कार्यवाही, आवेदन पत्र क्लेन पिटीशन निर्णित किये जायेंगे, उनके निष्पादन प्रकरण व विविध प्रकरण भी उसी न्यायालय नें प्रस्तुत होंगे। यदि न्यायालय अस्तित्व में न हो या रिक्त हो तब, एवं इस कार्य विभाजन आदेश नें इस विषय में कोई व्यवस्था प्रकट न हो रही हो, तब ऐसे न्यायालय से संबंधित निष्पादन, विविध आवेदन जिला न्यायाधीश स्तर पर **जिला मुख्यालय मे चतुर्थ जिला न्यायाधीश सिवनी द्वारा एवं तहसील मुख्यालय मे प्रथम जिला न्यायाधीश लखनादौन द्वारा, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड स्तर पर चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिवनी एवं तहसील स्तर पर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड लखनादौन एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड स्तर पर चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिवनी एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लखनादौन** द्वारा संपादित किया जावेगा।

19– जब कभी पुर्नस्थापना अथवा एक पक्षीय निर्णय को अपास्त करने का आवेदन (विविध प्रकरण) मूल आदेश पारित करने वाले न्यायालय से भिन्न न्यायालय द्वारा निराकृत किया जाये तब मूल प्रकरण उसी न्यायालय को, जिन्होनें पुर्नस्थापना अथवा एकपक्षीय निर्णय से संबंधित विवेध प्रकरण का निराकरण किया है, मूल प्रकरण को नये नम्बर पर पुनः स्थापित कर आगे की सुनवाई हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

20– पूर्व में पारित उत्तराधिकार प्रमाणपत्र में परिवर्तन, परिवर्धन के लिए आवेदन पत्र उसे न्यायालय में प्रस्तुत होगें जिसके द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया गया है, यदि वह न्यायालय अस्तित्व में नहीं है या रिक्त है, तब ऐसे आवेदन उचित आदेश हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होंगे।

21– म0प्र0 सिविल कोर्ट एक्ट 1955 की उपधारा–21(4) के प्रावधानों के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवकाश में समस्त न्यायालय इस कार्य विभाजन आदेश के अंतर्गत आवंटित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले अत्यावश्यक सिविल कार्य का निराकरण कर सकेंगे।

22– धारा–114 सी0पी0सी0 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन सीधे उस न्यायालय में ही प्रस्तुत किये जायेंगे, जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया है। यदि न्यायालय रिक्त है तब आवेदन उचित आदेश हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होंगे।

23– कार्य विभाजन पत्रक में जिन प्रकरणों की सुनवाई एवं निराकरण के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, ऐसे वाद, आवेदन, याचिका, विविध आवेदन आदि सीधे प्रधान जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होंगे, जिनके विषय में प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा उचित आदेश दिया जायेगा।

24– माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के परिपत्र क0 सी0/6698/तीन–19–12/89 (मुख्य), जबलपुर, दिनांक 19/12/2014 के प्रकाश में परिवार न्यायालय सिवनी के पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में परिवार न्यायालय के लंबित प्रकरणों एवं उनमे से उत्पन्न होने वाले अत्यावश्यक कार्य विशेष न्यायाधीश सिवनी के द्वारा संपादित किये जावेंगे।

25– तहसील लखनादौन अंतर्गत प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड का पद रिक्त होने की स्थिती मे भारतीय उत्तराधिकार अधि0 1925 के भाग–10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा संपादित किये जावेगें।

26– न्यायिक अधिकारियों के अवकाश अवधि अथवा अन्यथा कारण से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने की दशा में निम्न तालिका के कालम क्रमांक–2 में वर्णित न्यायालयों का अत्यावश्यक कार्य क्रमशः कालम–3, 4 एवं 5 में उल्लेखित न्यायालय द्वारा संपादित किया जावेगा :–

## // न्यायालय जिनके पास प्रभार रहेगा //

| क्रं. | अनुपस्थित न्यायिक अधिकारी का नाम व पद | प्रथम प्रभार | द्वितीय प्रभार | तृतीय प्रभार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी | विशेष न्यायाधीश, एस.सी. / एस.टी. (पी.ए) एक्ट सिवनी | प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी | चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी |
| 2 | विशेष न्यायाधीश, एस.सी. / एस.टी. (पी.ए) एक्ट सिवनी | प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी | तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी | द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी |
| 3 | प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी | विशेष न्यायाधीश, एस.सी. / एस.टी. (पी.ए) एक्ट सिवनी | द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी | तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी |
| 4 | द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी | चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी | तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी | प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी |
| 5 | तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी | प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी | चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी | द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी |
| 6 | चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी | तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी | द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी | विशेष न्यायाधीश, एस.सी. / एस.टी.(पी.ए.) एक्ट सिवनी |
| 7 | प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, लखनादौन | द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, ल–दौन | तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी | प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी |
| 8 | द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, लखनादौन | प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, लखनादौन | द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी | चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी |
| 9 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सिवनी | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिवनी | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिवनी | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिवनी |
| 10 | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिवनी | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिवनी | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिवनी | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सिवनी |
| 11 | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिवनी | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिवनी | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिवनी | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सिवनी |
| 12 | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिवनी | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिवनी | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिवनी | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सिवनी |
| 13 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, लखनादौन | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, लखनादौन | अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ, लखनादौन | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिवनी |
| 14 | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, लखनादौन | प्रथम अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, लखनादौन | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ, लखनादौन | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिवनी |
| 15 | प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड लखनादौन | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, लखनादौन | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, लखनादौन | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिवनी |
| 16 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिवनी | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिवनी | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिवनी | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनि, सिवनी |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिवनी | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिवनी | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिवनी | अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिवनी |
| 18 | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिवनी | षष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिवनी | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिवनी | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड,सिवनी |
| 19 | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिवनी | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिवनी | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिवनी | अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड,सिवनी |
| 20 | पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिवनी | **पद रिक्त** | **पद रिक्त** | **पद रिक्त** |
| 21 | षष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिवनी | अतिरिक्त व्यवहार न्याया. कनिष्ठ खण्ड, सिवनी | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड,सिवनी | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिवनी |
| 22 | प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिवनी | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिवनी | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिवनी | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिवनी |
| 23 | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, लखनादौन | अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, लखनादौन | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, लखनादौन | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, लखनादौन |
| 24 | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, लखनादौन | **पद रिक्त** | **पद रिक्त** | **पद रिक्त** |
| 25 | व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, घंसौर | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, लखनादौन | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, लखनादौन | अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, लखनादौन |
| 26 | व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, केवलारी | चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिवनी | तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिवनी | प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिवनी |

-Sd-

**(सतीश चंद्र राय)**
**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश**
**सिवनी (म0प्र0)**

# :: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी (म0प्र0) ::

पृष्ठां0 कमांक– 519 / एक / 11–1 / 06–2024 सिवनी, दिनांक 20 / 04 / 2024

**प्रतिलिपि :–**

(01) माननीय पोर्टफोलियों न्यायाधिपति (जिला सिवनी), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।

(02) माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।

(03) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।

(04) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्याया0 / विशेष न्यायाधीश,एस.सी. / एस.टी.(पी.ए.) एक्ट सिवनी

(05) प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी / लखनादौन।

(06) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी।

(07) जिलाध्यक्ष एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी।

(08) पुलिस अधीक्षक, सिवनी।

(09) न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सिवनी / जिला रजिस्ट्रार सिवनी।

(10) समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी / लखनादौन / घंसौर / केवलारी।

(11) न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय लखनादौन।

(12) प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग सिवनी / लखनादौन / घंसौर / केवलारी।

(13) प्रस्तुतकार सत्र न्यायाधीश, सिवनी।

(14) अध्यक्ष अभिभाषक संघ, सिवनी / लखनादौन / घंसौर / केवलारी।

(15) शासकीय अभिभाषक सिवनी / अति0 शासकीय अभिभाषक, लखनादौन।

(16) प्रशासनिक अधिकारी / उप प्रशासनिक अधिकारी / लेखापाल–कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी की ओर सूचनार्थ।

20.4.24

(सतीश चंद्र राय)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सिवनी (म0प्र0)